



## AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482


Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer-305004

Phone: 0145-2644517, E-mail-revenue.section@rediffmail.com, Website-http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl

क्रमांक:-अविविनिलि / मु.ले.अ. (ERB) / राजस्व / पत्रांक/ प्रे 2503 दि. 22.10.2018

### परिपत्र

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 7(22) ऊर्जा/2016 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियमित टैरिफ सब्सिडी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं (Block supply- Rural) द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत बिलों की राशि के पुनर्भरण (अधिकतम 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2481 दिनांक 18.10.2018 (REV-AJ-139) की निरंतरता में यह निर्देश दिये जाते हैं कि फीडर इन्वार्ज जिन कृषि उपभोक्ताओं के बैंक खातों के विवरण किन्हीं कारणों से एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं अथवा संबंधित उपभोक्ता वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं ऐसे उपभोक्ताओं से संबंधित रिमार्क कॉलम में कोड 3 दर्ज किया जायेगा एवम् संदर्भित आदेश के निर्देश संख्या 4 के अनुसार ही ऐसे सभी कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह नवम्बर एवम् दिसम्बर, 2018 में जारी बिल राशि में सब्सिडी का पुनर्भरण उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाएगा अपितु विद्युत बिलों में ही समायोजित कर दिया जाएगा। बिलिंग एजेन्सी, यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा देय अनुदान राशि (DBT योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि को सम्मिलित करते हुए) उसकी बिल राशि में से समायोजित करते हुए भुगतान हेतु देय राशि का बिल जारी किया जायेगा।

  
(एम. के. गोयल)  
मुख्य लेखा नियंत्रक  
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/अं.सं./उ.सं./झुं.सं.), अविविनिलि, अजमेर/ उदयपुर/ झुंझुंनू।
2. मुख्य लेखाधिकारी (.....), अविविनिलि, अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (अ.श.वृ./अ.जि.वृ./पवस), अविविनिलि, .....
4. अधीक्षण अभियन्ता (IT), अविविनिलि, अजमेर को HCLI बिलिंग सिस्टम में आवश्यक क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उक्त आदेश को संलग्नो सहित निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अं.सं./उ.सं./झुं.सं.), अविविनिलि, अजमेर/ उदयपुर/ झुंझुंनू।
6. लेखाधिकारी (लेखा/अ.श.वृ./अ.जि.वृ./पवस), अविविनिलि, .....
7. निजी सहायक प्रबंध निदेशक/ निदेशक (वित्त/तकनीकी), अविविनिलि, अजमेर।
8. मै. एच.सी.एल.आई., के-2, गाँधी नगर, नाका मदार, अजमेर।

  
मुख्य लेखा नियंत्रक